FORM No. III

APP-A
Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम कोटा

किशोर कुमार बनाम लक्ष्मी

किस्म मुकदमा भरण पोषण अधि नियम नं. 62 सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/7/25	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। अप्रार्थी श्रीमती लक्ष्मी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थीगण किशोर कुमार शर्मा तथा मीनाक्षी शर्मा द्वारा मकान नं. 251, शास्त्री नगर, दादोबाडी, कोटा को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.04.2025 से अन्य व्यक्ति संजय शुक्ला आत्मज स्व० ओम प्रकाश शुक्ला निवासी 10, शुक्ला भवन, रंगबाडी, केशवपुरा, कोटा को विक्रय किया जा चुका है और वर्तमान में न तो प्रार्थीगण किशोर कुमार शर्मा व मीनाक्षी शर्मा इस मकान में निवास कर रहे है न उनका इस सम्पत्ति के सम्बन्ध मे स्वामित्व रहा है ऐसी स्थिति में किसी भी रूप मे वे इस परिवाद व कार्यवाही के आधार पर कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही रह गये है। प्रार्थीया को उपरोक्त जानकारी न्यायालय ए.डी.जे. क्रम 4. कोटा मे दिनांक 19.05.2025 को इस दस्तावेज की प्रस्तुति पर इसकी प्रति प्रदान करने पर हुई है ऐसी स्थिति मे इस प्रकरण में अब कोई अनुतोष प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी नहीं रहे है और वे इस सम्पत्ति मे स्वामी नही रहे है। प्रार्थीगण वर्तमान में इस सम्पत्ति के स्वामी नही रह जाने से वह किसी प्रकार का कोई अनुतोष माननीय न्यायालय से प्राप्त करने के अधिकारी नहीं रह गये है और वे न्यायालय को गुमराह कर और असत्य तथ्यो के आधार पर कार्यवाही को जारी रखे हुये है जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भरण पोषण अधिनियम मकान नं0 10, शुक्ला भवन, रंगबाडी, केशवपुरा, कोटा से अप्रार्थीया को बेदखल करने हेतु पेश किया है। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न विक्रय पत्र के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा विवादित मकान नं0 10, शुक्ला भवन, रंगबाडी, केशवपुरा, कोटा का विक्रय किया जा चुका है। वर्तमान मे प्रार्थीगण उक्त मकान के स्वामी नही है। जिस कारण से प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीया की बेदखली की जो सहायता न्यायालय से चाही है वह सहायता न्यायालय से दिलाई नही जा सकती है। चूकि प्रार्थीगण द्वारा विवादित मकान का विक्रय किया जा चुका है जिस कारण हस्तगत प्रकरण मे कोई कार्यवाही अपेक्षित नही रह जाती है। अतः अप्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5, 53, 24 दी मेन्टीनेन्स एण्ड वेलफेयर ऑफ पेरेन्ट्स एण्ड सनियिर सिटिजन्स एक्ट 2007 इसी स्तर पर निस्तारित किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी कोटा	